एनएचपीसी लिमिटेड

सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम

1. **प्रस्तावना**

एनएचपीसी लिमिटेड भारत तथा विदेश में **जल विद्युत विकास** में कार्यरत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है । **एनएचपीसी** अपना व्यापार उच्चतम नैतिक मानदण्डों के साथ करता है ।

यह कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बिडर, संविदाकारों तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रेताओं (काउंटर पार्टियों) के साथ व्यापार करता है । **एनएचपीसी** अत्यधिक नैतिक एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार परिवेश को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । **एनएचपीसी** अपने सभी काउंटर पार्टियों से अपने आपसी संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से कारोबार करता है ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए **एनएचपीसी** केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के सहयोग से सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है । इस पहल के एक भाग के रूप में **एनएचपीसी** सीवीसी तथा टीआईआई के साथ परामर्श से बाहरी स्वतंत्र मॉनीटरो को नियुक्त करेगा जो सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में **एनएचपीसी** की सहायता करेंगी ।

एनएचपीसी के सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

- **एनएचपीसी** की प्रतिबद्धताएं तथा बाध्यताएं
- काउंटर पार्टियों की प्रतिबद्धताएं तथा बाध्यताएं
- उल्लंघन तथा परिणाम
- स्वतंत्र मॉनीटर
- क्रियान्वयन दिशा-निर्देश
- आवधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन

II **एनएचपीसी की प्रतिबद्धताएं तथा बाध्यताएं**

(क) **एनएचपीसी** कॉउंटर पार्टियों के साथ उच्च नैतिक एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यापारिक लेन-देन करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(ख) **एनएचपीसी** अपने सभी काउंटर पार्टियों से आपसी संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से कारोबार करेगा ।

(ग) **एनएचपीसी** और/अथवा इसके सहयोगी (कर्मचारी, एजेंट, परामर्शदाता, सलाहकार आदि) स्वयं हेतु अथवा तृतीय पार्टियों हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से रिश्वत/अनुचित लाभ नहीं मांगेंगे अथवा नहीं लेंगे ।

(घ) प्रतिस्पर्धी निविदा और साथ ही साथ सामान्य अधिप्राप्ति में **एनएचपीसी** सभी काउंटर पार्टियों से समता, तर्कसंगतता तथा उचित तरीके से व्यवहार करेगा ।

(ङ) **एनएचपीसी** ऐसे सभी सहयोगियों को शामिल नहीं करेगा जो काउंटर पार्टियों के साथ सौदेबाजी में पूर्वाग्रह से ग्रसित हों अथवा जिनके विरोधाभाषी हित हों ।

(च) **एनएचपीसी** अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा और काउंटर पार्टी को समय पर उचित भुगतान करेगा ।

(छ) **एनएचपीसी** कहीं भी भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक व्यवहार होने की स्थिति में वहाँ कार्रवाई प्रारम्भ करेगा तथा जोर-शोर से उसका अनुवर्तन करेगा ।

III. **"काउंटर पार्टी" की प्रतिबद्धताएं तथा बाध्यताएं**

(क) काउंटर पार्टी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (एजेंट, परामर्शदाता, सलाहकार आदि के माध्यम से) एनएचपीसी के साथ सौदेबाजी में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को कोई रिश्वत अथवा अवैध लाभ नहीं देगी ।

(ख) काउंटर पार्टी एनएचपीसी के साथ कारोबार में किसी अन्य काउंटर पार्टी के साथ सांठ-गांठ, मूल्य-निर्धारण में शामिल नहीं होगी ।

(ग) काउंटर पार्टी एनएचपीसी द्वारा प्राधिकृत किए बिना एनएचपीसी की किसी भी गोपनीय सूचना को किसी तृतीय पार्टी को नहीं देगी ।

(घ) काउंटर पार्टी अपने संगठन के भीतर श्रेष्ठ नैतिक व्यवहारों को बढ़ावा देगी तथा उनका पालन करेगी ।

(ङ) काउंटर पार्टी स्वतंत्र मॉनीटर को सूचित करेगी -

(1) यदि उसे किसी रिश्वत अथवा अवैध भुगतान/लाभ हेतु मांग प्राप्त होती है

(2) यदि उसे **एनएचीपीसी** के संगठन में किसी अनैतिक अथवा अवैध व्यवहार का पता चलता है और

(3) यदि वह **एनएचपीसी** के किसी सहयोगी को कोई भुगतान करता है ।

(च) काउंटर पार्टी **एनएचपीसी** अथवा उसके किसी सहयोगी के विरूद्ध कोई झूठा अथवा भ्रामक आरोप नहीं लगाएगी ।

IV उल्लंघन तथा परिणाम

(क) यदि कोई काउंटर पार्टी बिडिंग प्रक्रिया के दौरान सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के अंतर्गत अपने प्रतिबद्धताओं तथा बाध्यताओं का कोई उल्लंधन करती है तो **वह बिडिंग प्रक्रिया से अपात्र घोषित किए जाने हेतु उत्तरदायी होगी और/अथवा व्यवसायिक लेन-देन को प्रतिबंधित करने हेतु नीति तथा प्रक्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगी** । काउंटर पार्टी **एनएचपीसी** को धरोहर जमा राशि/बिड जमानत राशि के समान राशि से परिसमाप्त क्षतियों के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु भी उत्तरदायी होगी ।

(ख) सत्यनिष्ठता समझौते के उल्लंघन के मामले में जिसके द्वारा संविदा दिए जाने के पश्चात **नियोक्ता** संविदा समाप्त कर देता है अथवा समाप्त करने का पात्र है, **एनएचपीसी** संविदाकार से जमानत राशि /कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के समान परिसमाप्त क्षतियों की **एक मुश्त राशि** को वसूल करने की पात्र है, जोकि **संविदा के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार अन्य किसी क्षति/वसूली के अतिरिक्त होगा** ।

(ग) एनएचपीसी काउंटर पार्टी को भविष्य में कारोबार से प्रतिबंधित कर सकता है तथा हटा सकता है जब तक कि स्वतंत्र मॉनीटर इससे संतुष्ट न हो कि काउंटर पार्टी भविष्य में कोई और उल्लंघन नहीं करेगी ।

(घ) **नियोक्ता उक्त की सूचना सीवीओ को देगा** और उल्लंघनकर्ता काउंटर पार्टी के विरूद्ध अपराधिक कारवाई प्रारम्भ कर सकता है ।

(ङ) काउंटर पार्टी स्वतंत्र मॉनीटर द्वारा निर्धारित किए अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी ।

V. स्वतंत्र मॉनीटर

(क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, **एनएचपीसी** सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा उसकी प्रभावोत्पादकता की निगरानी के लिए स्वतंत्र मॉनीटर नियुक्त करने हेतु प्राधिकारी हैं । उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बाहरी विशेषज्ञ समिति (ओईसी) के समान होगी । इस प्रयोजन हेतु ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल (टीआई) के साथ परामर्श से **एनएचपीसी** द्वारा स्वतंत्र मॉनीटरों का एक पैनल गठित किया जा सकता है और उसे मंजूरी हेतु सीवीसी को संदर्भित किया जा सकता है ।

(ख) स्वतंत्र मॉनीटर अद्वितीय सत्यनिष्ठा, **एनएचपीसी** के व्यापार का ज्ञान और वाणिज्यिक क्रियाकलापों में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति होगा ।

(ग) यह 3 वर्ष की अवधि हेतु एक स्वैच्छिक, गैर-वेतनभोगी पद होगा । स्वतंत्र मॉनीटर को **एनएचपीसी** के स्वतंत्र निदेशकों के समान ही लाभ प्रदान किए जाएंगे ।

(घ) स्वतंत्र मॉनीटर का मुख्य लक्ष्य **एनएचपीसी** में भ्रष्टाचार, रिश्वत तथा अन्य किसी अनैतिक व्यवहार रोकने के लिए सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करना होगा ।

(ङ) स्वतंत्र मॉनीटर के पास प्रशासनिक अथवा प्रवर्तन उत्तरदायित्व नहीं होंगे । वह अन्य भ्रष्टाचार-निरोधी संस्थानों जैसे की सीवीसी के साथ अपने प्रयासों का समन्वय करेगा । वह अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह में बाहरी एजेंसियों जैसे कि लेखांकन फर्मों, विधि फर्मों आदि की सेवाएं आवश्यक होने पर **एनएचपीसी** के व्यय पर ले सकता है ।

(च) स्वतंत्र मॉनीटर की **एनएचपीसी** के सभी अधिकारियों तथा आंतरिक रिकार्डों पर पहुंच होगी । उसकी काउंटर **पार्टियों** के रिकार्डो तथा पार्टियों से संबंधित सौदेबाजी के संबंध में सूचना पर भी पहुंच होगी ।

(छ) स्वतंत्र मॉनीटर के पास **सत्यनिष्ठता समझौते के उल्लंघन/क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप अपेक्षा होने** पर **एनएचपीसी** तथा काउंटर पार्टीयों के मध्य होने वाली किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा ।

(ज) यदि स्वतंत्र मॉनीटर को किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होती है अथवा उसे इसका संदेह होता है, तो वह **एनएचपीसी** के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सूचित करेगा । एक बार स्वतंत्र मॉनीटर के इससे संतुष्ट होने पर कि कोई अनियमितता हुई है, वह सीवीसी तथा टीआई-इंडिया को भी सूचित कर सकता है ।

(झ) स्वतंत्र मॉनीटर को उसके पद से किसी कारण से **एनएचपीसी** के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा केवल एक खुली तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है ।

VI. <u>क्रियान्वयन दिशा-निर्देश</u>

सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित सामान्य दिशा-निर्देश सुझाए जाते हैं -

(क) टीआई-इंडिया तथा सीवीसी के साथ परामर्श से एक स्वतंत्र मॉनीटर का चयन एवं नियुक्ति ।

(ख) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एनएचपीसी के सभी वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों/पदाधिकारियों से प्रतिबद्धता प्राप्त करना । यह माना जाना चाहिए कि सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के प्रति प्रतिरोध हो सकता है ।

(ग) स्वतंत्र मॉनीटरों के साथ परामर्श से विस्तृत क्रियान्वयन योजनाओं को विकसित करना और सत्यनिष्ठता समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप देना ।

(घ) सभी वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों, निदेशक मंडल, संगठन के अन्य किसी निगरानी निकायों और प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की **एनएचपीसी** की योजनाओं के संबंध में सूचित करना, इसे **एनएचपीसी** की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए और इस पहल की जानकारी मीडिया को भी दी जानी चाहिए ।

VII. <u>आवधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन</u>

यह सिफारिश की जाती है कि एनएचपीसी आवधिक रूप से सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा निम्नलिखित में से कुछ अथवा सभी द्वारा करें -

(क) स्वतंत्र मॉनीटर तथा **एनएचपीसी** के वरिष्ठ अग्रणी सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता का एक वार्षिक स्व-मूल्यांकन करें तथा सुधार के क्षेत्रों/तरीकों की पहचान करें ।

(ख) स्वतंत्र मॉनीटर सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रगति/प्रभावोत्पादकता पर एक वार्षिक रिपोर्ट **एनएचपीसी** के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करे ।

(ग) भ्रष्टाचार कम करने में सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता के लिए **एनएचपीसी** वरिष्ठ कार्यपालकों, कनिष्ठ कार्यपालकों, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों तथा प्रतिस्पर्धियों के साथ एक वार्षिक 360 डिग्री समीक्षा (किसी बाहरी एजेंसी द्वारा) आयोजित कर सकती है ।

(घ) कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा हेतु वार्षिक आधार पर सीवीसी तथा टीआईआई के साथ एनएचपीसी की बैठक ।